

13 नवंबर, 2020
आदेश 2020-71

कार्यकारी

कार्यकारी आदेश 2020-71
(COVID-19 सरकारी आदेश संख्या 67)

जबकि, मार्च 2020 के आरंभ से इलिनॉय ने एक ऐसी वैश्विक-महामारी का सामना किया है जो असाधारण रूप से बीमारी एवं जनहानि का कारण बनी है, तथा 550,000 से भी अधिक लोगों को संक्रमित कर चुकी है और इसने 10,500 से अधिक निवासियों की जान ले ली है; और,

जबकि, इलिनॉय कोरोनावायरस रोग 2019 (COVID-19) द्वारा उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा का सामना करता है और इसके अनुरूप स्वयं को ढालता है, यह रोग एक बिलकुल नया, गंभीर, तीव्र श्वसन रोग है जो श्वसन संचरण के माध्यम से तेज़ी से फैलता है और यह कि अभी-भी इसका कोई प्रभावी उपचार या टीका नहीं मिला है और इससे संपूर्ण राज्य में निवासियों, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, प्रथम प्रतिक्रिया कर्मियों और सरकारों पर जो बोझ पड़ा है वह अभूतपूर्व है; और,

जबकि, हमेशा विशेष रूप से किसी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के दौरान, इलिनॉय के निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का संरक्षण करना राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होता है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध एवं मार्गदर्शन जिन सार्वजनिक स्थानों में सामाजिक दूरी के उपाय बनाए रखना कठिन हो वहाँ चेहरे पर कपड़े के कवर पहनने की आवश्यकता और प्रभावशीलता की ओर संकेत करता है, और यह संकेत देता है कि बाहर खुले में रोग फैलने का जोखिम, भवनों के अंदर रोग फैलने के जोखिम की तुलना में कम है; और,

जबकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य मार्गदर्शन सलाह देता है कि जो लोग एक ही घर में नहीं रहते हैं उन के बीच कम से कम शारीरिक संपर्क COVID-19 के फैलाव को धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण है; और,

जबकि, जैसे राज्यपालीय आपदा उद्घोषणाओं (ग्युबरनेटोरियल डिज़ास्टर प्रोक्लेमेशन्स) के दौरान COVID-19 इलिनॉय में फैल चुका है, और संपूर्ण राज्य में आपदा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां बदल चुकी हैं एवं लगातार बदल रही हैं, तो ऐसे में अगले कुछ माह में वाइरस का प्रसार का मार्ग क्या होगा इसका स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन हो गया है; और,

जबकि, 10,500 से भी अधिक इलिनॉय वासियों को दुखद मृत्यु देने एवं दसियों हज़ारों और निवासियों के शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह करने के अतिरिक्त, COVID-19 ने व्यापक आर्थिक हानि भी की है और यह अभी-भी लगातार पूरे राष्ट्र एवं राज्य में बड़ी संख्या में व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक खुशहाली को खतरे में डाल रहा है; और,

जबकि, 13 नवंबर, 2020 को, COVID-19 के जारी प्रसार के अपेक्षित रूप से जारी रहने, और राज्य भर के लोगों द्वारा आगामी महीनों में जो लगातार हो रहे स्वास्थ्य संबंधी एवं आर्थिक प्रभाव महसूस किए जाएंगे उनपर विचार करते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया था; और,

जबकि, ऊपर वर्णित महामारी के आपातकाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की प्रतिक्रिया में, मैं कार्यकारी आदेशों 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-53, 2020-56, 2020-57, 2020-60, 2020-61, 2020-62, 2020-63, 2020-64, 2020-65, 2020-66, 2020-67, 2020-68, 2020-69, और 2020-70 को पुनः जारी करना आवश्यक पाता हूँ और उन कार्यकारी आदेशों के 'जबकि' खंडों को सम्मिलित करता हूँ;

अतः इलिनॉय के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय के संविधान एवं इलिनॉय आपातकाल प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट), 20 ILCS 3305 के अनुभागों 7(1), 7(2), 7(3), और 7(8), 7(9) और 7(12) के अनुसरण में, और सार्वजनिक स्वास्थ्य कानूनों में निहित शक्तियों के अनुरूप, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ, जो नवंबर 13, 2020 से प्रभावी हैं:

भाग 1: सरकारी आदेशों का पुनः जारी किया जाना।

कार्यकारी आदेश 2020-03, 2020-04, 2020-07, 2020-08, 2020-09, 2020-11, 2020-12, 2020-15, 2020-16, 2020-17, 2020-20, 2020-21, 2020-22, 2020-23, 2020-24, 2020-25, 2020-26, 2020-27, 2020-28, 2020-29, 2020-30, 2020-34, 2020-35, 2020-36, 2020-40, 2020-41, 2020-42, 2020-43, 2020-45, 2020-47, 2020-50, 2020-53, 2020-56, 2020-57, 2020-60, 2020-61, 2020-62, 2020-63, 2020-64, 2020-65, 2020-66, 2020-67, 2020-68, 2020-69, एवं 2020-70 निम्नवत:

कार्यकारी आदेश 2020-04 (जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र (James R. Thompson Center) का बंद होना ; राज्य कर्मचारियों के लिए बीमारी की छुट्टी की आवश्यकता का अधित्याग):

कार्यकारी आदेश 2020-04 के अनुभागों 2, और 3 को पुनः जारी किया जाता है और **12 दिसंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है। अनुभाग 2 में शामिल कुछ भी केंद्रीय प्रबंधन सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ सेंट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज़) को राज्य कर्मचारियों, राजकीय कार्यों में भाग लेने वाली आम जनता, और वे जनसामान्य जो व्यवसायों तथा फूड कोर्ट के नियमित ग्राहक हैं, के लिए जेम्स आर. थॉम्पसन केंद्र में प्रवेश और निकास के विशिष्ट बिंदु निर्धारित करने तथा यातायात नियंत्रित करने से वर्जित नहीं करता है।

कार्यकारी आदेश 2020-07 (वैयक्तिक बैठक की आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-33 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-07 के अनुभाग 6 को फिर से जारी और **12 दिसंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-08 (राज्य संचालन सचिव (सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट ऑपरेशंस):

कार्यकारी आदेश 2020-39 और कार्यकारी आदेश 2020-44 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-08 के अनुभागों 3, 4 और 5 को फिर से जारी और **12 दिसंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-09 (दूरभाष स्वास्थ्य (टेलीहेल्थ)):

कार्यकारी आदेश 2020-52 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-09 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं **12 दिसंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-11 (इलिनॉय सुधार विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) अधिसूचना अवधि):

कार्यकारी आदेश 2020-11 का अनुभाग 4 पुनः जारी किया जाता है एवं **12 दिसंबर, 2020** तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-12 (स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच; इलिनॉय किशोर न्याय विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ जुवेनाइल जस्टिस) अधिसूचना अवधि:

कार्यकारी आदेश 2020-12 के अनुभागों 1, और 3 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-15 (इलिनॉय स्कूल संहिता (इलिनॉय स्कूल कोड) के प्रावधानों का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-15 के अनुभागों 5, 6, 7, 8, और 9 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-16 (सुरक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कक्षा प्रशिक्षण का स्थगन):

कार्यकारी आदेश 2020-16 का अनुभाग 2 पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 (भाग (केनाबिस) की समय-सीमाएं एवं आवेदन):

कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-03 एवं 2020-17 पुनः जारी किए जाते हैं और कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार प्रभावी रहेंगे।

कार्यकारी आदेश 2020-20 (सार्वजनिक सहायता आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-20 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-21 (इलिनॉय सुधार विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ करेक्शंस) के कैदियों का थोड़े दिनों का अवकाश):

कार्यकारी आदेश 2020-21 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-22 (बाल देखभाल अधिनियम 1969 के अंतर्गत प्लेस्मेंटज़; स्वास्थ्य देखभाल कर्मी पृष्ठभूमि जांच अधिनियम के अंतर्गत अंगुलियों के निशानों की प्रस्तुतियाँ):

कार्यकारी आदेश 2020-22 के अनुभागों 4, 5, और संचय खंड (सेविंग्स क्लॉज़) को पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-23 (आपदा प्रतिक्रिया में संलग्न लाइसेंसशुदा पेशेवरों के लिए इलिनॉय वित्तीय एवं पेशेवर नियमन विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ फ़ाइनेंशियल एंड प्रोफ़ेशनल रेगुलेशन) द्वारा की गई कार्रवाइयाँ):

कार्यकारी आदेश 2020-23 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-24 (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग विधि चिकित्साशास्त्र उपचार कार्यक्रम (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़ फ़ोरेंसिक ट्रीटमेंट प्रोग्राम); (इलिनॉय मानव सेवाएं विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ ह्यूमन सर्विसेज़) के कर्मचारियों की जांच पड़ताल):

कार्यकारी आदेश 2020-24 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-25 (ऋणानुबंध (गारनिशमेंट) एवं वेतन कटौतियाँ):

कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-25 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-26 (अस्पताल की क्षमता):

कार्यकारी आदेश 2020-26 के अनुभागों 2(e), 6, 7, 8, 9 और 10 को पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-27 (COVID-19 परीक्षण में पॉज़िटिव पाए गए शव):

कार्यकारी आदेश 2020-27 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-28 (औद्योगिक रेडियोग्राफी प्रमाणन):

कार्यकारी आदेश 2020-55 द्वारा यथा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-28 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-29 (पेशेवर बीमा लाइसेंसों का वैयक्तिक रूप से शिक्षण या परीक्षाएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-29 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-30 (कालातीत वाणिज्यदूतावास-संबंधी पहचान दस्तावेज़; इलिनॉय मानवाधिकार आयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलिंग):

कार्यकारी आदेश 2020-30 के अनुभागों 1, 4, 5, और 6 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-34 (भांग (केनाबिस) संबंधी आवश्यकताएँ):

कार्यकारी आदेश 2020-34 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-35 (इलिनॉय विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य नियामक गतिविधियां, (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ रेगुलेटरी एक्टिविटीज):

कार्यकारी आदेश 2020-35 के अनुभागों 14, 15, 16, और 17 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-36 (विवाह अनुज्ञाएं (लाइसेंसिज़)):

कार्यकारी आदेश 2020-36 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

सरकारी आदेश 2020-40 (बाल श्रम कानून):

कार्यकारी आदेश 2020-40 के अनुभागों 2, और 4 को पुनः जारी किया जाता है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-41 (खेलों पर दांव लगाना):

कार्यकारी आदेश 2020-41 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-42 (राजकीय मेले):

कार्यकारी आदेश 2020-42 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-43 (चरण 4 समुदाय पुनर्जीवन आदेश):

कार्यकारी आदेश 2020-55 और कार्यकारी आदेश 2020-59 द्वारा संशोधित कार्यकारी आदेश 2020-43 को इसकी संपूर्णता में फिर से जारी किया गया है और 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-45 भांग (केनाबिस) के लाइसेंस):

कार्यकारी आदेश 2020-45 अपनी संपूर्णता में फिर से जारी किया जाता है और कार्यकारी आदेश 2020-45 में निर्दिष्ट किया गए के अनुसार प्रभावशील रहेगा।

कार्यकारी आदेश 2020-47 (प्रीK-12 स्कूलों में वैयक्तिक रूप से शिक्षण):

कार्यकारी आदेश 2020-47 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-50 (काउंटी जेलों से इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शंस में स्थानांतरण फिर से शुरू करना):

कार्यकारी आदेश 2020-50 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-53 (क्षेत्र 7 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-53 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-56 (क्षेत्र 1 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-56 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-57 (भांग (केनाबिस) के पहचान पत्र):

कार्यकारी आदेश 2020-57 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-60 (क्षेत्र 5 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-60 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-61 (क्षेत्र 7 और 8 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-61 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-62 (क्षेत्र 1 टियर 2 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-62 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-63 (क्षेत्र 4 और 10 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-63 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-64 (क्षेत्र 11 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-64 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-65 (क्षेत्र 9 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-65 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-66 (क्षेत्र 3 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-66 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-67 (क्षेत्र 6 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-67 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-68 (भाग (केनाबिस) रजिस्ट्री पहचान पत्र के नवीकरण):

कार्यकारी आदेश 2020-68 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-69 (क्षेत्र 2 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-69 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

कार्यकारी आदेश 2020-70 (क्षेत्र 5, 7 और 8 टियर 2 शमन):

कार्यकारी आदेश 2020-70 अपनी संपूर्णता में पुनः जारी किया जाता है एवं 12 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया जाता है।

भाग 2: संचय खंड (सेविंग्स क्लॉज़)। यदि इस सरकारी आदेश के किसी भी प्रावधान या उपयोग को किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जाता है, तो यह अवैधता किसी अन्य प्रावधान या इस सरकारी आदेश के लागू करने को प्रभावित नहीं करती है, जिसे बिना अवैध प्रावधान के या आवेदन के प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, इस सरकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया गया है।

राज्यपाल (गवर्नर)

जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल द्वारा नवंबर 13, 2020 को जारी
राज्य सचिव (Secretary of State) द्वारा नवंबर 13, 2020 को दायर

